मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– सुन्दर लाल खारोल, RJS,
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

एम.ए.सी.प्र.सं. :– **129 / 2022 (53 / 2020)**

....

1– भंवराराम पुत्र मोहनराम, निवासी बावडी, तहसील डीडवाना, जिलाः डीडवाना–कुचामन हाल निवासी शिव, तहसील कुचामन सिटी, जिलाः डीडवाना–कुचामन।

2– श्रीमती कमला पत्नी भंवराराम, निवासी बावडी, तहसील डीडवाना, जिलाः डीडवाना–कुचामन हाल निवासी शिव, तहसील कुचामन, जिलाः डीडवाना–कुचामन।

——याचिकाकर्तागण

बनाम

1– जितेन्द्र सिंह पुत्र ओनारसिंह, निवासी निम्बोला, पुलिस थाना पीलवा, जिला–नागौर।
(वाहन जीप संख्या आरजे–21–सी–3363 का चालक)

2– जयप्रकाश पुत्र हनुमान, निवासी कचौलिया, तहसील मकराना, जिलाः डीडवाना–कुचामन।
(वाहन जीप संख्या आरजे–21–सी–3363 का पंजीकृत स्वामी)

3– यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, जरिये प्रबंधक स्थानीय मण्डल, कार्यालयः प्लॉट संख्या एसपी–1, रिको औद्योगिक क्षेत्र, एस.बी.बी.जे. बैंक के सामने, पोस्ट ऑफिस के पास, परबतपुरा अजमेर।
(वाहन जीप संख्या आरजे–21–सी–3363 की बीमा कंपनी)

——विपक्षीगण

–ः उपस्थितिः–

1. याचिकाकर्तागण की ओर से	–	अधिवक्ता, श्री गिरीश दाधीच।
2. विपक्षी सं.–1 व 2 की ओर से	–	अधिवक्ता, श्री मोहम्मद ईस्लाम।
3. विपक्षी सं.–3 की ओर से	–	अधिवक्ता, श्री ओमप्रकाश सैन।

याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक	17–07–2020
विपक्षी संख्या–1 द्वारा जवाब प्रस्तुत करने की दिनांक	09–04–2021
विपक्षी संख्या–2 व 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत करने की दिनांक	09–04–2021
विवाद्यक विरचित करने की दिनांक	13–08–2021
साक्ष्य प्रार्थी की दिनांक	19–05–2023
साक्ष्य अप्रार्थीगण की दिनांक	–

बहस अंतिम की दिनांक	12–05–2026
अधिनिर्णय की दिनांक	12–05–2026

गवाहान सूची

(अ) याचिकाकर्तागण गवाहान्

क.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
ए.ड.–1	भंवराराम	स्वयं याचिकाकर्ता
ए.ड.–2	रामनिवास	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी

(ब) विपक्षी संख्या–1 के गवाहान्

क.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

(स) विपक्षी संख्या–2 के गवाहान्

क.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

(द) विपक्षी संख्या–3 के गवाहान्

क.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

(य) अधिकरण द्वारा तलब किया गया गवाह

क.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	-

दस्तावेजात की सूची

(अ) याचिकाकर्ता के दस्तावेजातः–

क.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
1	प्रदर्श–1	चॉक एफ.आई.आर.

2	प्रदर्श—2	आरोप—पत्र
3	प्रदर्श—3	नक्शा मौका
4	प्रदर्श—4	फर्द जब्ती वाहन जीप संख्या आर.जे.21—सी—3363
5	प्रदर्श—5	नोटिस धारा 133 एम.वी.एक्ट
6	प्रदर्श—6	नोटिस धारा 134 एम.वी.एक्ट
7	प्रदर्श—7	एम.टी.ओ. रिपोर्ट जीप संख्या आर.जे.21—सी—3363
8	प्रदर्श—8	जितेन्द्र सिंह का डी.एल.
9	प्रदर्श—9	आर.सी. जीप संख्या आर.जे.21—सी—3363
10	प्रदर्श—10	बीमा कवर नोट जीप संख्या आर.जे.21—सी—3363
11	प्रदर्श—11	चोट प्रतिवेदन आहत भेराराम
12	प्रदर्श—12	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक भेराराम

(ब) विपक्षीगण की ओर से प्रदर्शित दस्तावेजात

क.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
—	—	—

(स) अधिकरण दस्तावेजात

क.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
—	—	

याचिका अन्तर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम, 1988

दिनांक :— 12—05—2026

—:: अधिनिर्णय ::—

1. याचिकाकर्तागण भंवरराम व अन्य के द्वारा यह याचिका अन्तर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत की जाकर यह अभिकथित किया गया है कि दिनांक 17—12—2019 को दोपहर के समय मृतक भैराराम अपनी मोटरसाईकिल संख्या आरजे—37—एससी—0460 से ग्राम करकेडी से धनकोली जा रहा था। जब वह मुख्य हाईवे सड़क पर पहुंचा तब ग्राम जिलिया की तरफ से पीछे से विपक्षी संख्या—1 जितेन्द्र सिंह अपने वाहन जीप संख्या आरजे—21—सी—3363 को तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक

चलाते हुए लाया और भैराराम की मोटरसाईकिल के जोरदार टक्कर मार दी, जिससे भैराराम गंभीर रूप से चोटग्रस्त हुआ। भैराराम को दुर्घटनास्थल से राजकीय अस्पताल, कुचामन लेकर गए, जहां से प्राथमिक उपचार के उपरान्त जयपुर रैफर कर दिया। दौराने ईलाज एसएमएस अस्पताल में भैराराम की मृत्यु की हुई। उक्त दुर्घटना के संबंध में पुलिस थाना, चितावा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 182/2019 दर्ज की गई। बाद अनुसंधान पुलिस द्वारा विपक्षी संख्या–1 के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 304ए भारतीय दण्ड संहिता का आरोप–पत्र समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. याचिकाकर्तागण ने याचिका में आगे यह भी अभिकथित किया है कि याचिकाकर्तागण मृतक भैराराम के विधिक वारिसान एवं उत्तराधिकारी होकर विपक्षीगण से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी है। वक्त दुर्घटना मृतक भैराराम 19 वर्ष का होकर मजदूरी का कार्य करके प्रतिमाह 10,000/–रूपये की आय अर्जित कर याचिकाकर्तागण का भरण–पोषण करते हुए आर्थिक सहयोग करता था। प्रश्नगत दुर्घटना में भैराराम की मृत्यु के कारण याचिकाकर्तागण को भारी मानसिक संताप होकर वे मृतक के लाड, प्यार, सेवा, सहारे से वंचित हो गये। इसलिए याचिकाकर्तागण के द्वारा विभिन्न मदों में कुल **74,57,000/–**रूपये की क्षतिपूर्ति राशि मय **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज विपक्षीगण से दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

3. याचिकाकर्तागण की ओर से याचिका में यह भी अभिकथित किया गया है कि वाहन जीप संख्याः आर.जे.–21–सी–3363 का चालक विपक्षी संख्या–1 जितेन्द्र सिंह, वाहन का पंजीकृत स्वामी विपक्षी संख्या–2 जयप्रकाश व विपक्षी संख्या–3 यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स वाहन की बीमा कंपनी थी। इस कारण से विपक्षीगण संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से याचिकाकर्तागण को क्षतिपूर्ति अदा करने के लिए उत्तरदायी है।

4. विपक्षी संख्या–1 व 2 ने याचिका का संयुक्त रूप से जवाब प्रस्तुत कर यह अभिकथित किया कि विपक्षी संख्या–1 वक्त दुर्घटना वाहन जीप संख्या आरजे–21–सी–3363 का चालक था। विपक्षी संख्या–1 के पास वक्त दुर्घटना वैध ड्राईविंग लाइसेन्स था। प्रश्नगत दुर्घटना में विपक्षी संख्या–1 की कोई

गलती व लापरवाही नहीं रही है। विपक्षी संख्या–2 का वाहन जीप संख्या आरजे–21–सी–3363 विपक्षी संख्या–3 बीमा कंपनी के यहां असिमित दायित्व के लिए बीमित था। इस कारण विपक्षीगण का कोई दायित्व प्रतिकर राशि की अदायगी का नहीं है। इसलिये याचिकाकर्तागण की याचिका खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

5. विपक्षी संख्या–3 बीमा कंपनी की ओर से जवाब याचिका प्रस्तुत की जाकर यह अभिकथित किया गया है कि प्रश्नगत दुर्घटना वाहन जीप संख्या आरजे–21–सी–3363 से घटित नहीं हुई है। याचिकाकर्तागण ने क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के आशय दुर्घटना के 15 दिन बाद मिलीभगत करते हुए प्रश्नगत वाहन को जब्त किया गया है। प्रश्नगत दुर्घटना दिनांक 17–12–2019 को होने के उपरान्त याचिकाकर्ता भंवरराम द्वारा दो दिन पश्चात् रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिस विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण याचिकाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। मृतक भैराराम की पोस्टमोर्टम रिपोर्ट में भैराराम की मृत्यु दिनांक 23–1–2020 होने का तथ्य अंकित है, किन्तु मृतक का शव परीक्षण दिनांक 1–2–2020 किए जाने का तथ्य अंकित किया गया है। वक्त दुर्घटना मृतक भैराराम के पास कोई वैध एवं प्रभावी चालक अनुज्ञा–पत्र नहीं था। प्रश्नगत दुर्घटना में वाहन संख्या आरजे–21–सी–3363 के चालक की कोई लापरवाही/गलती नहीं रही है। मृतक के कथित चोटें स्वयं की लापरवाही से किसी अन्य अज्ञात वाहन से कारित हुई है। याचिकाकर्तागण ने अपनी याचिका राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 व मोटरयान अधिनियम के निहित प्रारूप व प्रावधानुसार प्रस्तुत नहीं की है। वाहन स्वामी द्वारा बीमा कंपनी से की गई संविदा का जानबूझकर उल्लघंन किया गया है। इसलिए याचिकाकर्तागण की याचिका मय हर्जे–खर्चे खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

6. उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत उक्त अभिवचनों के आधार पर अधिकरण द्वारा निम्नानुसार विवाद्यक विरचित किये गये हैः–

1. **आया दिनांक 17–12–2019 को वाहन जीप संख्या आरजे–21–सी–3363 के चालक विपक्षी संख्या–1 ने वाहन को तेजगति, लापरवाही व असावधानी से चलाकर दुर्घटना कारित की, जिससे मृतक भैराराम की दौराने ईलाज एसएमएस**

अस्पताल, जयपुर में मृत्यु हो गई ?

——याचिकाकर्तागण

2. **आया विपक्षी संख्या–1 वक्त दुर्घटना वाहन का चालक, विपक्षी संख्या–2 वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है, जिसके नियोजन में उसके हितार्थ व लाभार्थ कार्य कर रहा था। इसी नियोजनकाल में यह दुर्घटना कारित हुई ?**

——याचिकाकर्तागण

3. **आया विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा, प्रारंभिक आपत्तियों और विशेष विवरण में अंकित आपत्तियों का क्या प्रभाव है?**

——याचिकाकर्तागण

4. **आया याचिकाकर्तागण, विपक्षीगण से क्षतिपूर्ति राशि 74,57,000/– रूपये प्राप्त करने के अधिकारी है?**

——याचिकाकर्तागण

5. **अनुतोष ?**

7. याचिकाकर्तागण की ओर से मौखिक साक्ष्य के दौरान ए.ड.–1 भंवराराम एवं ए.ड.–2 रामनिवास को परीक्षित करवाया गया। याचिकाकर्तागण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–12 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया है।

8. विपक्षीगण की ओर से किसी भी प्रकार की कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

9. बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

10. बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता याचिकाकर्तागण के तर्क रहे है कि प्रश्नगत दुर्घटना विपक्षी संख्या–1 द्वारा वाहन जीप को लापरवाही, असावधानी व तेजगति से चलाने के कारण घटित हुई है। विपक्षी संख्या–1 आरोपित वाहन का चालक, विपक्षी संख्या–2 पंजीकृत स्वामी एवं विपक्षी संख्या–3 प्रश्नगत वाहन की बीमा कम्पनी है, जिससे उनका संयुक्ततः एवं पृथकतः रूप से दायित्व आरोपित दुर्घटना में पूर्णतया प्रमाणित है। याचिकाकर्तागण की ओर से जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उनके खण्डन में विपक्षीगण की किसी भी प्रकार की कोई सारभूत साक्ष्य नहीं है। इस

प्रकार याचिकाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को अस्वीकार किये जाने का कोई आधार नहीं है। याचिकाकर्तागण याचिका में अभिकथित किये गये तथ्यों के अनुरूप विपक्षीगण से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है और इसी अनुरूप याचिकाकर्तागण की याचिका स्वीकार कर वांछित अनुतोष दिलाये जाने का निवेदन किया है।

11. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या–1 व 2 का बहस के दौरान ये तर्क रहे है कि विपक्षी संख्या–1 वक्त दुर्घटना वाहन जीप संख्या आरजे–21–सी–3363 का चालक था। विपक्षी संख्या–1 के पास वक्त दुर्घटना वैध ड्राईविंग लाइसेन्स था। प्रश्नगत दुर्घटना में विपक्षी संख्या–1 की कोई गलती व लापरवाही नहीं रही है। विपक्षी संख्या–2 का वाहन जीप संख्या आरजे–21–सी–3363 विपक्षी संख्या–3 यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स बीमा कंपनी के यहां असिमित दायित्व के लिए बीमित था। इस कारण विपक्षीगण का कोई दायित्व प्रतिकर राशि की अदायगी का नहीं बनता है। इसलिए याचिकाकर्तागण की याचिका खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

12. विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या–3 बीमा कंपनी ने मौखिक बहस के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत कर यह अभिकथित किया है कि याचिकाकर्तागण ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दो दिन के अस्पष्टीकृत विलम्ब से प्रस्तुत की है। याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत गवाह ए0ड0–2 ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान दुर्घटना दोपहर 02:00 बजे होना बताया है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दुर्घटना का समय रात्रि 12:00 बजे अंकित किया हुआ है। याचिकाकर्तागण द्वारा परीक्षित गवाहान ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान विरोधभासी कथन किए है। याचिकाकर्तागण ने मिलीभगत करके केवल मात्र क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए गलत तथ्यों के आधार पर याचिका प्रस्तुत की है। इसलिए याचिकाकर्तागण की याचिका मय हर्जे–खर्चे खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

13. विपक्षी संख्या–3 बीमा कंपनी ने मौखिक बहस के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत कर यह अभिकथित किया है कि दिनांक 17–12–2019 को कारित दुर्घटना वाहन जीप संख्या आरजे–21–सी–3563 के चालक द्वारा वाहन

को तेजगति, लापरवाहीपूर्वक चलाने के कारण घटित हुई थी। दौराने ईलाज दिनांक 23–1–2020 को एसएमएस अस्पताल, जयपुर में भैराराम की मृत्यु हुई थी। याचिकाकर्तागण मृतक भैराराम के ईलाज में व्यस्त होने के कारण रिपोर्ट देरी दर्ज करवाई थी। दुर्घटना का चक्षुदर्शी साक्षी ए0ड0–2 रामनिवास मृतक भैराराम को राजकीय अस्पताल, कुचामन लेकर गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में पुलिस द्वारा समय का गलत अंकन किया गया है। याचिकाकर्तागण द्वारा विपक्षी संख्या–1 व 2 से मिलीभगत कर प्रश्नगत वाहन को मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है। इसलिए याचिकाकर्तागण की याचिका अस्वीकार की जाकर खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

14. उपरोक्त तर्कों पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। याचिका में जो विवाद्यक विरचित किये गये हैं, उन पर इस अधिकरण का निष्कर्ष निम्न प्रकार हैः–

विवाद्यक संख्या–1 व 2

15. अधिकरण द्वारा विवाद्यक संख्या–1 व 2 निम्न प्रकार से विरचित किये गये है किः–

1. **आया दिनांक 17–12–2019 को वाहन जीप संख्या आरजे–21–सी–3363 के चालक विपक्षी संख्या–1 ने वाहन को तेजगति, लापरवाही व असावधानी से चलाकर दुर्घटना कारित की, जिससे मृतक भैराराम की दौराने ईलाज एसएमएस अस्पताल, जयपुर में मृत्यु हो गई?**

2. **आया विपक्षी संख्या–1 वक्त दुर्घटना वाहन का चालक, विपक्षी संख्या–2 वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है, जिसके नियोजन में उसके हितार्थ व लाभार्थ कार्य कर रहा था। इसी नियोजनकाल में यह दुर्घटना कारित हुई ?**

16. उक्त दोनों विवाद्यकों के एक–दूसरे से संबंधित होने के कारण सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से उक्त दोनों विवाद्यकों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। विवाद्यक संख्या–1 व 2 को प्रमाणित करने का भार याचिकाकर्तागण पर है। उपरोक्त विवाद्यकों के संबधं में याचिकाकर्तागण की ओर से ए.ड.–1 भंवरराम 1 एवं ए.ड.–2 रामनिवास को परीक्षित किए गए है।

17. याचिकाकर्ता ए.ड.–1 भंवरराम, जो कि मृतक भैराराम का पिता है, ने अपने सशपथ कथनों के दौरान याचिका में वर्णितानुसार ही साक्ष्य देते हुये यह अभिकथित किया है कि दिनांक 17–12–2019 को उसका पुत्र ग्राम शिव से करकेडी होते हुए बावड़ी की ओर मोटरसाईकिल जा रहा था। जब भैराराम ग्राम करकेडी बाईपास पहुंचा तो ग्राम जिलिया की ओर से एक जीप संख्या आरजे–21–सी–3363 का चालक जीप को तेजगति, लापरवाही से चलाते हुए आया एवं अपनी सही दिशा में चल रही मोटरसाईकिल को जोरदार टक्कर मारी, जिससे भैराराम गंभीर पुत्र रूप से घायल हो गया। भैराराम को राजकीय चिकित्सालय, जिलिया लेकर आए जहां पर उसका प्राथमिक उपचार कर, कुचामन अस्पताल लेकर गए। जहां पर स्थिति गंभीर होने के कारण जयपुर रैफर कर दिया। दौराने ईलाज दिनांक 23–1–2020 को उसके पुत्र भैराराम की मृत्यु हो गई। उक्त दुर्घटना वाहन जीप चालक की लापरवाही के कारण घटित हुई थी। ईलाज में व्यस्त होने के कारण दुर्घटना की रिपोर्ट देरी से संस्थित करवाई थी। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श–2 आरोप–पत्र, प्रदर्श–3 फर्द नक्शा मौका व हालत मौका, प्रदर्श–4 फर्द जब्ती जीप संख्या आरजे–21–सी–3363, प्रदर्श–5 धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस, प्रदर्श–6 धारा 134 एमवी एक्ट का नोटिस, प्रदर्श–7 एमटीओ रिपोर्ट, प्रदर्श–8 डी0एल0, प्रदर्श–9 आर.सी., प्रदर्श–10 बीमा, प्रदर्श–11 मृतक भैराराम का चोट प्रतिवेदन, प्रदर्श–12 पोस्टमोर्टम रिपोर्ट को प्रदर्शित करवाया है।

18. गवाह ने दौराने जिरह स्वीकार किया कि वह वक्त दुर्घटना मौके पर उपस्थित नहीं था। दुर्घटना की रिपोर्ट प्रदर्श–1 रामनिवास द्वारा दर्ज करवाई गई थी। इस प्रकार यह गवाह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं होकर केवल मात्र सुनी–सुनाई बात के आधार पर साक्ष्य दे रहा है। इस कारण इस गवाह की साक्ष्य उक्त विवाद्यकों के सम्बन्ध में प्रकरण पर महत्वपूर्ण नहीं रह जाती है।

19. याचिकाकर्तागण की ओर से दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में ए.ड.–2 रामनिवास को परीक्षित करवाया गया है। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान यह कथन किया है कि वह दिनांक 17–12–2019 को दोपहर 02:00

बजे कुचामन जाने के लिए करकेडी बाईपास पर बस का इन्तजार कर रहा था। भैराराम अपनी मोटरसाईकिल अपनी सही दिशा में धीरे–धीरे चला रहा था तभी ग्राम जिलिया की तरफ से वाहन जीप संख्या आरजे–21–सी–3363 का चालक वाहन को तेजगति, लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए आया एवं भैराराम की मोटरसाईकिल के जोरदार टक्कर मार दी, जिससे भैराराम सड़क पर गिर गया। भैराराम गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटनास्थल से भैराराम को जिलिया अस्पताल लेकर गए। प्राथमिक उपचार के उपरान्त जयपुर रैफर कर दिया। एसएमएस अस्पताल, जयपुर में दौराने ईलाज भैराराम की मृत्यु हो गई। भैराराम की मृत्यु के 08 दिन पश्चात् उसके शव का पोस्टमोर्टम करवाया गया। वह दुर्घटना के दो दिन पश्चात् पुलिस थाना, चितावा गया था। उक्त दुर्घटना जीप चालक की लापरवाही के कारण घटित हुई थी।

20. गवाह ने दौराने जिरह स्वीकार किया कि दुर्घटना कारित वाहन के नम्बर आरजे–21–सी–3363 थे। वह वक्त दुर्घटना मौके पर उपस्थित था। वह दुर्घटनास्थल से 15–20 फीट की दूरी पर था। वह एसएमएस अस्पताल, जयपुर में भैराराम के साथ गया था। इस प्रकार उक्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान स्पष्ट रूप से प्रश्नगत दुर्घटना एकमात्र विपक्षी संख्या–1 की गफलत एवं लापरवाही से होना बताया है, जिसका कोई खण्डन विपक्षीगण की ओर से प्रतिपरीक्षण के दौरान नहीं किया जा सका है।

21. याचिकाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत उक्त मौखिक साक्ष्य के संदर्भ में यदि दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करे तो प्रश्नगत दुर्घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–1 पुलिस थाना, चितावा पर संस्थित की गई है, जिसमें दुर्घटना दिनांक 17–12–2019 को कमान्डर जीप से कारित होने का तथ्य अंकित है। दौराने अनुसंधान सम्बंधित पुलिस के द्वारा वाहन स्वामी विपक्षी संख्या–2 को नोटिस प्रदर्श–5 प्रेषित किया गया है। उक्त नोटिस के जवाब में विपक्षी संख्या–2 ने दुर्घटना दिवस को अपने स्वामित्व के वाहन जीप संख्या आरजे–21–सी–3363 पर चालक जितेन्द्रसिंह होने का जवाब प्रस्तुत किए जाने का तथ्य दर्शित होता है। इसी के साथ नोटिस प्रदर्श–6 धारा 134 एमवीएक्ट दौराने अनुसंधान सम्बंधित पुलिस के द्वारा विपक्षी संख्या–1 को प्रेषित किया

गया है, जिसके जवाब में विपक्षी संख्या–1 ने दुर्घटना दिनांक 17–12–2019 को प्रश्नगत वाहन पर चालक स्वयं का होने का तथ्य प्रस्तुत किया गया है।

22. इसी के साथ याचिकाकर्तागण की ओर से प्रदर्शित फर्द जब्ती वाहन जीप संख्या आर.जे.–21–सी–3363 प्रदर्श–4 के अवलोकन से सम्बंधित पुलिस के द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त वाहन को प्रश्नगत दुर्घटना में आलिप्त मानकर जब्त किए जाने से भी उक्त वाहन से ही दुर्घटना घटित होने का तथ्य प्रमाणित होता है। आरोप–पत्र प्रदर्श–2 के अवलोकन से बाद अनुसंधान सम्बंधित पुलिस के द्वारा विपक्षी संख्या–1 जितेन्द्र सिंह के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 304ए भारतीय दण्ड संहिता के आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाये जाने पर सम्बंधित न्यायालय में आरोप–पत्र प्रस्तुत किये जाने से भी प्रश्नगत दुर्घटना एकमात्र विपक्षी संख्या–1 की गफलत एवं लापरवाही से घटित होने का तथ्य प्रमाणित होता है।

23. इसी के साथ नक्शा मौका प्रदर्श–3 के अवलोकन से भी दुर्घटना स्थल मार्क ''एक्स'' से दर्शित किया गया, जो राणासर हाईवे सड़क का है। नक्शा मौका के अनुसार वाहन जीप संख्या आर.जे.–21–सी–3363 के चालक द्वारा वाहन को तेजगति, लापरवाही से चलाकर अपनी सही दिशा में चल रहे मृतक भैराराम की मोटरसाईकिल के जोरदार टक्कर मारकर दुर्घटना कारित करने का तथ्य दर्शित होता है। मृतक भैराराम के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श–11 के अवलोकन से प्रश्नगत दुर्घटना दिनांक 17–12–2019 को होने एवं उक्त दुर्घटना में मृतक भैराराम के चोटें कारित होने का तथ्य दर्शित होता है। इसके साथ ही मृतक की पोस्टमोटर्म रिपोर्ट प्रदर्श–12 के अवलोकन से भैराराम के दुर्घटना में गंभीर चोटें आने के कारण मृत्यु होने का तथ्य प्रमाणित होता है।

24. इसी के साथ दुर्घटना में लिप्त वाहन जीप संख्या आर.जे.–21–सी–3363 की आर.सी. प्रदर्श–9 के अनुसार पंजीकृत स्वामी विपक्षी संख्या–2 होने का तथ्य दर्शित होता है। डी.एल. प्रदर्श–8 के अनुसार विपक्षी संख्या–1 जितेन्द्र सिंह के पास वक्त दुर्घटना वैध एवं प्रभावी अनुज्ञा–पत्र होने का तथ्य दर्शित होता है। वाहन वाहन जीप संख्या आर.जे.–21–सी–3363 के बीमा प्रमाण–पत्र प्रदर्श–10 के अनुसार दिनांक 16–07–2019 से 15–07–2020 तक की अवधि तक

प्रश्नगत वाहन जीप संख्या आर.जे.–21–सी–3363 विपक्षी संख्या–2 यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कंपनी के यहां बीमित होने का तथ्य दर्शित होता है।

25.अतः याचिकाकर्तागण के द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य पूर्णतया प्रमाणित होता है कि प्रश्नगत दुर्घटना एकमात्र विपक्षी संख्या–1 द्वारा वाहन जीप संख्या आर.जे.–21–सी–3363 को तेजगति एवं असावधानी से चलाकर कारित की गई है एवं उक्त दुर्घटना में संघातिक चोटें आने के कारण जितेन्द्र की मृत्यु हुई। विपक्षी संख्या–1 वाहन चालक होकर वाहन स्वामी विपक्षी संख्या–2 के नियोजन में कार्य कर रहा था और इसी नियोजन काल में यह दुर्घटना कारित हुई। प्रश्नगत वाहन जीप संख्या आर.जे.–21–सी–3363 विपक्षी संख्या–3 यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कंपनी के यहां असीमित दायित्व के बीमित था। अतः उपरोक्त दोनों विवाद्यक याचिकाकर्तागण के पक्ष में तथा विपक्षीगण के विरूद्ध निर्णित किये जाते हैं।

विवाद्यक संख्या–3 :–

26.विवाद्यक संख्या–3 निम्न प्रकार से विरचित किया गया है किः–

> **"आया विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा, प्रारंभिक आपत्तियों और विशेष विवरण में अंकित आपत्तियों का क्या प्रभाव है?"**

27.इस इस विवाद्यक को साबित करने का भार विपक्षीगण पर था। इस सम्बन्ध में दौराने बहस विपक्षी संख्या–3 यूनाईटेड इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि वाहन वाहन जीप संख्या आर.जे.–21–सी–3363 को गलत रूप से मात्र क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए अर्न्तलिप्त किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दो दिवस के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, जिस विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण याचिकाकर्तागण की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है। इसलिए याचिकाकर्तागण की याचिका खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

28.इसका विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता याचिकाकर्तागण के ये तर्क रहे है कि दुर्घटना होने तुरंत पश्चात् मृतक भैराराम को राजकीय चिकित्सालय,

कुचामन लेकर गए थे। वहां पर मृतक भैराराम के प्रश्नगत दुर्घटना में आई चोटों को चोट प्रतिवेदन प्रदर्श–11 मुर्तिब किया गया था। उसके उपरान्त दौराने ईलाज एसएमएस अस्पताल, जयपुर में भैराराम की मृत्यु हो गई थी। मृतक के ईलाज में व्यस्त होने के कारण रिपोर्ट संस्थित करवाने में विलम्ब हुआ है। याचिकाकर्तागण द्वारा प्रश्नगत वाहन को मिथ्या रूप से आलिप्त नहीं किया गया है।

29. उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत उक्त तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

30. इस इस सम्बन्ध में यदि याचिकाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करे तो प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–1 में दुर्घटना दिनांक 17–12–2019 को होकर पुलिस थाना पर सूचना दिनांक 19–12–2019 को प्राप्त होने का अंकन है। इस प्रकार रिपोर्ट दुर्घटना के दो दिवस पश्चात् संस्थित किए जाने का तथ्य दर्शित होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–1 परिवादी रामनिवास की ओर से पुलिस उप–अधीक्षक, वृत्त कुचामन सिटी के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसमें घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना चितावा पर दिए जाने के बावजूद भी पुलिस थाना चितावा द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने का तथ्य वर्णित किया गया है।

31. इसी के साथ यदि ए.ड.–2 रामनिवास की साक्ष्य का अवलोकन करे तो उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान यह कथन किया है कि उनके कुचामन अस्पताल आने के बाद मौके पर पुलिस आ गई थी। वहॉ पर उपस्थित लोगों ने दुर्घटना के बारे में पुलिस को बता दिया था। वह दो दिन पश्चात् पुलिस थाना चितावा गया, तब पुलिस वालों ने उसे गाड़ी पकड़कर लाने के पश्चात् उसने बुलाने बाबत् कहा। जब उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की, तब उसने पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय, कुचामन सिटी पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त गवाह ने दौराने जिरह भी घटना के पश्चात् मृतक भैराराम के साथ सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में होना स्वीकार किया है।

32. इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–1 एवं ए.ड.–2 रामनिवास के बयानों से दुर्घटना दिनांक 17–12–2019 को ही मौके पर पुलिस थाना चितावा के

उपस्थित आ जाने के बावजूद जानकारी के अभाव में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किए जाने एवं तत्तपश्चात् मृतक भैराराम के ईलाज में व्यस्त होने के कारण रिपोर्ट दो दिन के विलम्ब से संस्थित कराये जाने का तथ्य प्रमाणित होता है। इस कारण जानकारी के अभाव में एवं मृतक के ईलाज में व्यस्त होने के कारण यदि दो दिवस के विलम्ब से भी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, तो उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव याचिका पर नहीं पड़ता है, क्योंकि पत्रावली पर उपलब्ध मृतक भैराराम के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श–11 एवं पोस्टमोटर्म रिपोर्ट प्रदर्श–12 के अनुसार दुर्घटना दिनांक 17–12–2019 में भैराराम के संघातिक चोटें कारित होने से ईलारत रहते हुए दिनांक 23–01–2020 को मृत्यु होने का तथ्य दर्शित होता है। उक्त दस्तावेजात फर्जी व कूटरचित रहे हो, ऐसा कोई दस्तावेज विपक्षी संख्या–3 की ओर से प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे मृतक भैराराम के चोट प्रतिवेदन एवं पत्रावली पर उपलब्ध पर अन्य दस्तावेजात पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण दर्शित नहीं होता है।

33. विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या–3 का बहस के दौरान एक तर्क यह रहा है कि दुर्घटना दिनांक 17–12–2019 को होने के पश्चात् मृतक भैराराम की मृत्यु दिनांक 23–01–2020 को होने के उपरान्त भी उसके शव का पोस्टमार्टम दिनांक 01–02–2020 को किया गया है। इस प्रकार मृत्यु से 9 दिवस पश्चात् पोस्टमार्टम किस कारण किया गया, इस तथ्य का कोई स्पष्टीकरण याचिकाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

34. इस सम्बन्ध में यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श–12 का अवलोकन करे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृतक भेराराम के शव का परीक्षण दिनांक 01–02–2020 को किए जान का तथ्य दर्शित होता है, किन्तु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भैराराम की मृत्यु सिर की चोट के कारण होने का तथ्य वर्णित किया गया है। इस प्रकार दुर्घटना में आई चोटों के कारण मृतक भैराराम की मृत्यु होने का तथ्य प्रमाणित होने के कारण यदि पोस्टमार्टम 9 दिवस के पश्चात् भी किया गया है तो उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव याचिका पर नहीं पड़ता है एवं केवल मात्र 9 दिवस के पश्चात् पोस्टमार्टम किए जाने के आधार पर याचिकाकर्तागण की याचिका में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार नहीं किया जा

सकता है।

35. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार जो तर्क विपक्षी संख्या–3 की ओर से उठाये गये है, उनमें कोई सार प्रकट नहीं होता है। इसलिये विवाद्यक बिन्दु संख्या–3 बहक याचिकाकर्तागण, विरूद्ध विपक्षी संख्या–3 विनिश्चित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या– 4

36. विवाद्यक संख्या–4 इस प्रकार से विरचित किया गया है किः–

> **''आया याचिकाकर्तागण, विपक्षीगण से क्षतिपूर्ति राशि 74,57,000/– रूपये प्राप्त करने के अधिकारी है?''**

37. याचिकाकर्तागण द्वारा अधिकरण के समक्ष क्लेम याचिका प्रस्तुत कर मृतक भैराराम की जीप संख्या आर.जे.–21–सी–3363 से दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण विपक्षीगण से प्रतिकर स्वरूप 74,57,000/–रूपये दिलवाने का निवेदन किया गया है। याचिकाकर्ता ए0ड0–1 भंवराराम, जो कि मृतक का पिता है, ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान यह कथन किया है कि वक्त दुर्घटना उसका पुत्र भैराराम 19 वर्षीय होकर मजदूरी करके प्रतिमाह 10,000–12,000/रूपये वेतन प्राप्त करता था।

38. मोटर दुर्घटना प्रकरणों में प्रतिकर राशि के निर्धारण के लिये मृतक की आयु व आय दो महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार करना होता है, जिनके आधार पर प्रतिकर राशि की गणना की जाती है। जहॉ तक मृतक भैराराम की आयु का प्रश्न है, इस संबंध में याचिकाकर्तागण ने याचिका में वक्त दुर्घटना मृतक भैराराम की आयु 19 होना अंकित किया है एवं इसी आशय के कथन साक्ष्य के दौरान किये है एवं अपने कथनों के समर्थन में मृतक भैराराम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श–12 के रूप में प्रदर्शित कराया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श–12 में मृतक भैराराम की आयु 19 वर्ष होने का तथ्य अंकित है। इसलिए मृतक भैराराम की आयु वक्त दुर्घटना **19** वर्ष होने का तथ्य अभिनिर्धारित किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है।

39. जहॉ तक मृतक भैराराम की आय का प्रश्न है, इस संबंध में ए.ड.–1 भंवराराम ने विपक्षी सं.–3 बीमा कम्पनी द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में अपने पुत्र की आय के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं करना स्वीकार किया है। इसलिए

राजस्थान श्रम विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के आधार पर दुर्घटना की दिनांक **17–12–2019** को लागू परिपत्र के आधार पर उसे अकुशल श्रमिक मानते हुए उसकी **आय 5850/–रूपये** निर्धारित की जाती है।

40. यह याचिका, याचिकाकर्तागण मृतक भैराराम के आश्रित के द्वारा प्रस्तुत की गई है। पत्रावली पर आई उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्तागण याचिका पेश किये जाने के समय मृतक की आय पर निर्भर थे व मृतक भैराराम के आश्रित थे। उपरोक्त विवेचन के अनुसार **याचिकाकर्ता–1 भंवराराम मृतक भैराराम के पिता एवं याचिकाकर्ता–2 श्रीमती कमला मृतक भैराराम के पिता है, इसलिए मृतक पर कुल 2 आश्रित** होना विनिश्चित किया जाता है।

41. मृतक की आश्रितता, आय व आयु का निर्धारण करने के पश्चात् माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **श्रीमती सरला वर्मा व अन्य बनाम दिल्ली ट्रासपोर्ट कारर्पोरेशन व अन्य A.I.R. 2009 (S.C.) 3104** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की **आयु 19 वर्ष** है जो कि **गुणांक 18** के अंतर्गत आता है। न्यायिक दृष्टांत **नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य A.I.R. 2017 (S.C.) पेज 4973** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक भैराराम के **आश्रितों की संख्या–2** है। उसके आधार पर व्यक्तिगत खर्चों और जीवन निर्वाह के खर्चों का निर्धारण **1/2** और निम्न सारणी के अनुसार क्लेम राशि को तय किया जाना न्यायोचित प्रकट होता हैः–

1	Nature of deceased job.	**Self-Employed**
2	Marital status of deceased.	**Un-Married**
3	Number of Dependents.	**2**
4	Age of deceased in Years.	**19**
5	Monthly Income	**5850**
6	Annual Income (Monthly Income *12)	**70,200**
7	Addition Made in income (As per Pranay Sethi Cases)= 40%	**28,080**
8	Total after Addition made	**98,280**
9	**Deduction towards personal and living expenses of the deceased. Amount mentioned at serial no. 8 Divided by = 1/2 (As per Sarla Case)**	**49,140**

10	Total after Deduction towards personal and living expenses of the deceases.	**49,140**
11	Multiplier (As per Sarla Case)= **18**	**8,84,520**
12	Lose of Dependency =	**8,84,520**
Reasonable Figures on Conventional Heads (As per Pranay Sethi Case)		
13	1. Loss of estate	15,000.00
14	2. Loss of consortium(As per Pranay Sethi Cases)= **2**	80,000.00
15	3. Loss of funeral	15,000.00
16	Total (Loss of Dependency + Conventional Heads)	**9,94,520**
17	Round off Total	**9,94,520/-**

42. उक्त सारणी के अनुसार मृतक भैराराम के आश्रित को क्लेम राशि **9,94,520/– (अक्षरे नौ लाख चारानवे हजार पांच सौ बीस रूपये मात्र)** प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

अनुतोष :–

43. अतः उपरोक्त विवेचन अनुरूप वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन वाहन जीप संख्या आर.जे.–21–सी–3363 का चालक व रजिस्टर्ड स्वामी विपक्षी संख्या–1 एवं प्रश्नगत वाहन वक्त दुर्घटना विपक्षी संख्या–2 यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कंपनी के यहां असीमित दायित्व के लिए बीमित था। दुर्घटना के समय विपक्षी संख्या–1 वाहन चालक, विपक्षी संख्या–2 वाहन के पंजीकृत स्वामी के नियोजन हितार्थ, लाभार्थ कार्यरत था। बीमा प्रदर्श–10 के अनुसार वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन विपक्षी संख्या–3 बीमा कम्पनी के यहां बीमित था। इस कारण विपक्षी संख्या–3 से याचिकाकर्तागण क्षतिपूर्ति प्रतिकर स्वरूप संयुक्त रूप से एवं पृथकतः **9,94,520/– (अक्षरे नौ लाख चारानवे हजार पांच सौ बीस रूपये मात्र)** की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है और इसी अनुरूप उपरोक्त याचिका आंशिक रूप से याचिकाकर्तागण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

44. याचिकाकर्तागण ने क्षतिपूर्ति राशि 12 प्रतिशत ब्याज की दर से दिलाये जाने का निवेदन किया है। इस संबंध में **पुट्टमा बनाम के.एल.नारायण रेड्डी A.I.R. 2014 (S.C.) 165 धर्मपाल व अन्य बनाम यू.पी.स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कोरपोरेशन A.I.R. 2008 (S.C.) 2312** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार राष्ट्रीयकृत

बैंक की ब्याज दर के अनुसार ही दिलवाया जाना निर्धारित किया गया है। इस प्रकार इस अधिकरण के विन्रम मत में याचिकाकर्तागण भंवराराम व अन्य, विपक्षीगण से संयुक्त रूप से एवं पृथकतः **9,94,520/– (अक्षरे नौ लाख चारानवे हजार पांच सौ बीस रूपये मात्र)** याचिका पेश करने की दिनांक **17–07–2020** से भुगतान की दिनांक तक **5.50** प्रतिशत साधारण ब्याज की दर दिलवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: पंचाट ::–

45. परिणामतः याचिकाकर्तागण भंवराराम व अन्य की याचिका आंशिक रूप से विपक्षीगण के विरूद्ध संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से स्वीकार की जाकर यह अंतिम पंचाट इस प्रकार से पारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता भैराराम व अन्य, विपक्षी संख्या–1 वाहन चालक, विपक्षी संख्या–2 वाहन स्वामी एवं विपक्षी संख्या–3 वाहन जीप संख्या आर.जे.–21–सी–3363 की बीमा कम्पनी यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी से संयुक्तः एवं पृथकतः **9,94,520/– (अक्षरे नौ लाख चारानवे हजार पांच सौ बीस रूपये मात्र)** याचिका पेश करने की दिनांक 17–07–2020 से भुगतान की दिनांक तक **5.50** प्रतिशत साधारण ब्याज की दर सहित प्रतिकर स्वरूपः प्राप्त करने के अधिकारी है।

46. याचिकाकर्तागण को यदि धारा 140 मोटर वाहन अधिनियम के तहत अंतरिम प्रतिकर के रूप में राशि का भुगतान किया गया है तो उक्त राशि अंतिम पंचाट की राशि में समायोजित होगी।

47. विपक्षी संख्या–3 बीमा कंपनी को आदेशित किया जाता है कि निर्णय की दिनांक से एक माह के भीतर याचिकाकर्तागण को प्रतिकर राशि **9,94,520/– (अक्षरे नौ लाख चारानवे हजार पांच सौ बीस रूपये मात्र) मय ब्याज निम्नानुसार उनके बचत खातों में अदा करेः–**

क. सं.	याचिकाकर्ता का नाम	बैंक का नाम एवं खाता संख्या	IFSC Code	राशि प्रतिशत में
1	भंवराराम	PNB-1911010105743	**PUNB0191120**	**50 %**
2	श्रीमती कमला	PNB-1911200100025787	**PUNB0191120**	**50%**

48. याचिकाकर्तागण को बैंक में उक्त राशियॉ जमा होने के पश्चात् अधिकरण द्वारा

जमा राशियों के नकद भुगतान/सावधि जमा योजना के तहत जमा किए जाने के सम्बन्ध में आदेश पारित किए जाने के पश्चात् ही याचिकाकर्तागण अधिकरण के आदेशानुसार राशि प्राप्त करेंगे। इस अधिकरण के आदेश के बिना सम्बंधित बैंक, याचिकाकर्तागण को किसी भी राशि का भुगतान नहीं करेगा। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।

(सुन्दर लाल खारोल)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
कुचामन सिटी जिलाः डीडवाना–कुचामन(राज0)

49.अधिनिर्णय आज दिनांक 12–05–2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित, मुद्रांकित कर प्रसारित किया गया।

(सुन्दर लाल खारोल)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
कुचामन सिटी जिलाः डीडवाना–कुचामन(राज0)